

कार्यालय
पत्रांक 200

जिलाधिकारी
/आर0टी0आई0/अन्तरित/2022

गौतमबुद्धनगर
दिनांक 08/04/22

जनसूचना अधिकारी/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण।

25475

11-4-22

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवेदक साहिल चौधरी एडवोकेट निवासी चैम्बर नं0 789, गली नं0 22, जनपद न्यायालय सूरजपुर गौतमबुद्धनगर मो0नं0 9899642426 के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गयी है। उक्त सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः मूल आवेदन पत्र एवं पोस्टल आर्डर संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराये तथा कार्यालय प्रति भविष्य के लिये सभालकर रखे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी(ज0सू0)/
कृते जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि:- साहिल चौधरी एडवोकेट निवासी चैम्बर नं0 789, गली नं0 22, जनपद न्यायालय सूरजपुर गौतमबुद्धनगर मो0नं0 9899642426 को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त जनसूचना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है।

प्रभारी अधिकारी(ज0सू0)/
कृते जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

PIO Health

12/4/22


PIO Health

RTI-20475

12/4/22

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया दहा रुपये का डाक टिकट

NOT NEGOTIABLE



डाक टिकट
POSTAGE STAMPS



डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO _____ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



AT THE POST OFFICE AT

Phase-III, Delhi
के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE



कमीशन COMMISSION रुपया 1RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Sahil chawdhary (ADV.)
Chambers No-789, Gali No-22,
District Court Surajpur,
G. B Nagar

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया दहा रुपये का डाक टिकट

दिय

सूचना

52F 053252
नवदुन ह।क प्राया नम्रालाखत सूचना प्राप्त करना

चाहता है:-

म
न्या
सन
सूचन
अत
कि स
तथा व
संलग्न-

श्रीमान लोक सूचना / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय
जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना
उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना

चाहता है:-

1. यह की किसी व्यक्ति ने 1976 मे या इससे पहले से ग्रेटर नोएडा में भूमि क्रय की थी परन्तु वह नॉएडा का निवासी है तो उसे ग्रेटर नोएडा का निवासी माना जाएगा या नहीं।
2. यह की किसी व्यक्ति ने 1976 मे या ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना से इससे पहले से ग्रेटर नोएडा में भूमि क्रय की थी तो उसे ग्रेटर नोएडा का मूल निवासी माना जाएगा या नहीं।

प्रार्थी नियमानुसार भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 52F 053252 के माध्यम से अंकन ₹10 शुल्क अदा कर रहा है। यदि किसी प्रकार के शुल्क की कमी रहती है तो उसे भी नियम अनुसार अदा किया जाएगा।



दिनांक: 07/04/2022

प्रार्थी
साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर